न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

ठासीन अधिकारी का नाम–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

अपील संख्या–05/2019 भरण पोषण अधिनियम

गोपीराम पुत्र श्री किशनाराम जाति मेघवाल निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. किशनाराम राम पुत्र खिराज जाति मेघवाल निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंट

2. महावीर
3. भागीरथ
4. प्रभुराम
5. देवीलाल

(2 से 5) पिसरान किशनाराम जाति मेघवाल निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा व जिला हनुमानगढ़।

––औपचारिक रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.09.2019 प्रकरण संख्या संख्या–03/2019 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा बअनवानी किशनाराम बनाम महावीर आदि जिसकी रूह से 40,000 रूपये प्रतिवर्ष भरण–पोषण गुजारा भत्ता प्रत्येक अप्रार्थी को किशनाराम के जीवनकाल तक अदा किए जाने का आदेश दिया, जिसे निरस्त किए जाने बाबत।

निर्णय

दिनांकः–24.12.2020

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि किशनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 एवं 23 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी 80 साल का वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी के पास वर्तमान से आय का कोई साधन नही है जिस कारण प्रार्थी अपना जीवनयापन करने में असमर्थ है। प्रार्थी के पांचो पुत्र प्रार्थी से अलग निवास करते है व प्रार्थी को भरण पोषण व गुजारा भत्ता नही देते है। तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 12 एस टी बी–ए के खाता संख्या 34/33 के पत्थर नम्बर 5/324 मु.न. 14 के किला नम्बर 3 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 4.807 हैक. व पत्थर नम्बर 4/325 मु. न. 18 के किला नम्बर 1 ता 10, 11, 20, 21 पत्थर नम्बर 5/325 मु.न. 19 के किला नम्बर 1 ता 9,

12 ता 19, 22 ता 25 की कुल 5.288 हैक्. इस प्रकार तीनो पत्थरों की कुल 11.246 हैक्. अनकमाण्ड भूमि में से प्रार्थी के नाम से 7.195 हैक्. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी व तहसील सूरतगढ़ के चक नम्बर 7 एस जी आर में भी मिन प्रार्थी की लगभग 25.00 बीघा भूमि थी। प्रार्थी के पांचो पुत्र मिलकर प्रार्थी को भूमि के बंटवारा करने के लिए तंग परेशान करते व दवाब बनाते इसलिए पंचायती तौर पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अनुसार बंटवारा कर दिया था व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम इन्तकाल करवा लिया। दिनांक 31.08.2016 को एक स्टाम्प क्रमांक संख्या सी 758577 मालियत 500 रू. पर बंटवारा किया गया था, बंटवारा के समय यह तय पाया गया कि प्रत्येक अप्रार्थी यानि प्रार्थी का प्रत्येक पुत्र व्यक्ति 40,000 रू. अखरे चालीस हजार रूपये बतौर भरण–पोषण अदा करने के लिए पाबंद रहेगा यानि तमाम अप्रार्थीगण मिलकर कुल 2,00,000 रूपये प्रति वर्ष गुजारा भत्ता अदा करना तय पाया था। प्रार्थी की पत्नी श्रीमति चन्दो देवी का देहान्त पूर्व में ही हो चुका है। बंटवारा के समय तय की गई शर्तो के तहत अप्रार्थीगण कायम नही रहे है न ही भूमि को काश्त आदि करने दे रहे है व गुजारा भत्ता भी नही दे रहे है। बंटवारा की भूमि अप्रार्थीगण के पास है व अन्य संसाधनो से भी आय है जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में है। अन्त में भरण पोषण दिलवाये जाने की इस्तदुआ की गई व अप्रार्थीगण के नाम बंटवारा व वाद पत्र से प्राप्त की भूमि का इन्तकाल खारिज कर प्रार्थी के नाम पुनः दर्ज किया जावे जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा किए उक्त कथनों से इन्कार करते हुए अपना विस्तृत जवाब कथनों के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एवं आधारहीन होने के कारण खारिज किए जाने का कथन किया एवं जवाब के समर्थन में सशपथ कथन भी विचारण न्यायालय के समक्ष किए एवं अन्य गवाहान के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए थे। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर आवेदन पत्र रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय कायम रहने योग्य नही है खारिज योग्य है।

अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जवाब आवेदन पत्र की मद संख्या 4 में यह स्पष्ट कथन किये थे कि चक 12 एस टी बी ए में कुल 11.246 हैक्. अनकमाण्ड भूमि में से रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी के नाम से 7.195 है. भूमि अभिलेख में दर्ज थी। उक्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 2 ता 4 की पैतृक सम्पति थी एवं जिसे छल व धोखाधडी पूर्वक कृषि भूमि हड़प करने की नियम से उक्त वर्णित भूमि में से 1.354 हैक्. भूमि अप्रार्थी संख्या 4 प्रभूराम ने अपने नाम दिनांक 18.1.2016 को करवाने हेतु एवं अप्रार्थी संख्या 2 महावीर ने अपने नाम 1.354 है. कृषि भूमि जरिये गिफ्ट अभिलेख में दर्ज करवा ली एवं रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि में से 1.240 है. भूमि जो उनका हिस्सा बनता था, वह बिना किसी आवश्यकता के मंगलाराम पुत्र जोतराम के नाम से विक्रय कर अभिलेख में अंकित करा दी थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कथनो के संबध में अपीलाधीन निर्णय में बिना कोई उल्लेख किए विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उक्त आधार पर यह अपील निरस्ती है।

अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किये थे कि प्रकरण संख्या 244 अनवानी प्रकरण महावीर आदि बनाम किशनाराम आदि में सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के न्यायालय से 28.09.2016 को दावा डिक्री करवाकर भूमि किशनाराम ने अपने नाम करवा ली थी जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 2 ता 4 का प्रश्नगत भूमि पैतृक होने से जन्म से अधिकार था। रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी मात्र अपने तीन पुत्र रेस्पो. संख्या 2/अप्रार्थी संख्या 1 महावीर रेस्पो. संख्या 3/अप्रार्थी संख्या 2 भागीरथ व रेस्पो. संख्या 4/अप्रार्थी संख्या 4

12 ता 19, 22 ता 25 की कुल 5.288 हैक. इस प्रकार तीनो पत्थरों की कुल 11.246 हैक. अनकमाण्ड भूमि में से प्रार्थी के नाम से 7.195 हैक. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी व तहसील सूरतगढ़ के चक नम्बर 7 एस जी आर में भी मिन प्रार्थी की लगभग 25.00 बीघा भूमि थी। प्रार्थी के पांचो पुत्र मिलकर प्रार्थी को भूमि के बंटवारा करने के लिए तंग परेशान करते व दवाब बनाते इसलिए पंचायती तौर पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अनुसार बंटवारा कर दिया था व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम इन्तकाल करवा लिया। दिनांक 31.08.2016 को एक स्टाम्प क्रमांक संख्या सी 758577 मालियत 500 रू. पर बंटवारा किया गया था, बंटवारा के समय यह तय पाया गया कि प्रत्येक अप्रार्थी यानि प्रार्थी का प्रत्येक पुत्र व्यक्ति 40,000 रू. अखरे चालीस हजार रूपये बतौर भरण–पोषण अदा करने के लिए पाबंद रहेगा यानि तमाम अप्रार्थीगण मिलकर कुल 2,00,000 रूपये प्रति वर्ष गुजारा भत्ता अदा करना तय पाया था। प्रार्थी की पत्नी श्रीमति चन्दो देवी का देहान्त पूर्व में ही हो चुका है। बंटवारा के समय तय की गई शर्तो के तहत अप्रार्थीगण कायम नही रहे है न ही भूमि को काश्त आदि करने दे रहे है व गुजारा भत्ता भी नही दे रहे है। बंटवारा की भूमि अप्रार्थीगण के पास है व अन्य संसाधनो से भी आय है जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में है। अन्त में भरण पोषण दिलवाये जाने की इस्तदुआ की गई व अप्रार्थीगण के नाम बंटवारा व वाद पत्र से प्राप्त की भूमि का इन्तकाल खारिज कर प्रार्थी के नाम पुनः दर्ज किया जावे जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा किए उक्त कथनों से इन्कार करते हुए अपना विस्तृत जवाब कथनों के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध एवं आधारहीन होने के कारण खारिज किए जाने का कथन किया एवं जवाब के समर्थन में सशपथ कथन भी विचारण न्यायालय के समक्ष किए एवं अन्य गवाहान के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए थे। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का विवेचन एवं विश्लेषण किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर आवेदन पत्र रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय कायम रहने योग्य नही है खारिज योग्य है।

अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जवाब आवेदन पत्र की मद संख्या 4 में यह स्पष्ट कथन किये थे कि चक 12 एस टी बी ए में कुल 11.246 हैक. अनकमाण्ड भूमि में से रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी के नाम से 7.195 है. भूमि अभिलेख में दर्ज थी। उक्त भूमि अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 2 ता 4 की पैतृक सम्पति थी एवं जिसे छल व धोखाधड़ी पूर्वक कृषि भूमि हड़प करने की नियम से उक्त वर्णित भूमि में से 1.354 हैक. भूमि अप्रार्थी संख्या 4 प्रभूराम ने अपने नाम दिनांक 18.1.2016 को करवाने हेतु एवं अप्रार्थी संख्या 2 महावीर ने अपने नाम 1.354 है. कृषि भूमि जरिये गिफ्ट अभिलेख में दर्ज करवा ली एवं रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि में से 1.240 है. भूमि जो उनका हिस्सा बनता था, वह बिना किसी आवश्यकता के मंगलाराम पुत्र जोतराम के नाम से विक्रय कर अभिलेख में अंकित करा दी थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कथनो के संबध में अपीलाधीन निर्णय में बिना कोई उल्लेख किए विधि विरूद्व तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो उक्त आधार पर यह अपील निरस्ती है।

अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किये थे कि प्रकरण संख्या 244 अनवानी प्रकरण महावीर आदि बनाम किशनाराम आदि में सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के न्यायालय से 28.09.2016 को दावा डिक्री करवाकर भूमि किशनाराम ने अपने नाम करवा ली थी जबकि अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या 2 ता 4 का प्रश्नगत भूमि पैतृक होने से जन्म से अधिकार था। रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी मात्र अपने तीन पुत्र रेस्पो. संख्या 2/अप्रार्थी संख्या 1 महावीर रेस्पो. संख्या 3/अप्रार्थी संख्या 2 भागीरथ व रेस्पो. संख्या 4/अप्रार्थी संख्या 4

प्रभुराम से काफी स्नेह व प्यार रखता है। वह उन्हीं के पास ही रहता है। किशनाराम उक्त वर्णित तीनों पुत्रों के बहकावे में आकर ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत आवेदन प्रस्तुत किया जो किसी भी साक्ष्य से पुष्ट नही होता था बल्कि रेस्पों. संख्या 2 ता 4/अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4, रेस्पो. संख्या 1/प्रार्थी से मिलकर अपीलाण्ट को हैरान परेशान करने की नियत से मिथ्या कथनों के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कर रहा है जबकि रेस्पो. संख्या 1 एवं उसके तीन पुत्र महावीर, भागीरथ व प्रभुराम ने आपस में मिलकर एक गाड़ी बोलेरो खरीद रखी है जो वे टैक्सी के रूप में प्रयोग करते है उसकी आमदनी भी वही प्राप्त करते है एवं दो ट्यूबवेल भी लगा रखे है जिसका पानी विक्रय कर आमदनी प्राप्त करते है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों का भी कोई विवेचन विश्लेषण अपीलाधीन निर्णय में नही किया है।

रेस्पो. संख्या 1 को जो आय प्राप्त होती है उसका विवरण अपीलाण्ट ने जवाब आवेदन पत्र की मद संख्या 12 में विस्तृत रूप में उल्लेख किया था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर न कर अपीलाण्ट जो कि आर्थिक रूप से पूर्व में ही कर्ज में डूबा हुआ है और आय का पर्याप्त साधन नही होने से रेस्पो. संख्या 1 ता 4 ने आपस में मिलीभगत कर अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 5 के विरूद्ध एक गिरोह बनाकर अपीलाण्ट को हैरान व परेशान करने पर आमादा है। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा जवाब आवेदन की मद संख्या 13 में किए उल्लेख पर कोई टिप्पणी किए बिना ही विधिक प्रावधानो के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो किसी सूरत में कायम रहने योग्य नही है।

विचारण न्यायालय ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में किए प्रावधानो की मंशा के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस अधिनियम की धारा 9(2) के विपरित प्रत्येक पुत्र के जिम्मे जो प्रतिवर्ष 40,000 रूपये की राशि अदा किए जाने का आदेश दिया है। वह किसी भी सूरत में कायम रहने योग्य नही है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अधिनियम की धारा 6(6)की भी कोई पालना नही की है एवं न ही धारा 8(2)के तहत अधिकरण को शपथ पत्र साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने तथा दस्तावेजो और भौतिक पदार्थो का पता करने और उनमें प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होने के बावजूद भी उक्त प्रक्रिया अपीलाण्ट की आपत्ति प्रस्तुत किए जाने के उपरोक्त भी नही अपनाये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय अधिनियम के प्रावधानों के विपरित पारित किया होने से काबिल निरस्ती है।

विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.8.2016 में हुए बंटवारा के आधार पर भरण–पोषण गुजारा भत्ता बाबत् प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया है परन्तु उक्त बंटवारानामा सभी पारिवारिक सदस्यों जिसमें अपीलाण्ट की बहिन है के हस्ताक्षर नही है एवं जो अन्य शर्ते निधारित की गई थी उसकी पालना भी नही की गई है जहा तक रेस्पो. के भरण पोषण का कथन है विचारण न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेज पेश हुए है जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि रेस्पो. संख्या 1 की रेस्पो. महावीर, भागीरथ, प्रभूराम सेवा करते है क्योंकि उन्होंने अपने पिता रेस्पो. संख्या 1 से सेवा के बदले गिफ्ट में भूमि प्राप्त की है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी कोई विवेचन विश्लेषण किए बिना विधिक प्रावधानो के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिल अपास्त है।

विचारण न्यायालय में रेस्पो. संख्या 4 ने यह सशपथ कथन किए थे कि उसके कोई संतान नही है। इसलिए वह अपने पिता रेस्पों. संख्या 1 को अपने पास रखकर पिता की देखरेख भरण–पोषण ईलाज इत्यादि करवाने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 4 अपने पिता की ईज्जत एवं मान सम्मान करते है और भविष्य में भी करते रहेगे।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.09.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अपीलांट जरिये वाद मित्र एडवोकेट श्री विजय कौशिक एवं रेस्पोडेन्टस जरिये वाद मित्र एडवोकेट श्री जगराज सिंह भाटी व श्री मोहन लाल यादव उपस्थित आये। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस को सुना गया। अपीलांट ने अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा ने रेस्पो.संख्या 1/प्रार्थी किशनाराम का भरण पोषण का प्रार्थना पत्र भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 में दिये गये प्रावधानो के विरूद्ध जाकर व बिना विधिक नियमों की पालना करते हुए स्वीकार किया जो काबिल निरस्ती है। रेस्पो.संख्या 1/प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के साथ दुरभि संधि कर अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश पारित करवाया है जो काबिल निरस्ती है। अतः अपील प्रार्थना पत्र में विस्तृत वर्णित बिन्दुवार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.9.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट नं0 1 किशनाराम ने स्वयं हाजिर आकर कथन किया कि अपीलांट गोपीराम व रेस्पो.संख्या 2 ता 5 मेरे पुत्र है। मेरे पास लगभग 50 बीघा कृषि भूमि है जो मेरे घरेलू समझौता अनुसार जरिये डिक्री मेरे पुत्रों के नाम करवा दी है मुताबिक समझौता मुझे मेरे प्रत्येक लड़के से 40,000 रूपये सालाना यानि 5 पुत्रों से 2,00,000 रूपये मिलने थे किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 तो भरण पोषण राशि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत मुताबिक समझौता दे रहे है अपीलांट यानि गोपीराम नहीं दे रहा है। अतः अपील स्वीकार कर भरण पोषण राशि दिलावाई जावे।

दोनो पक्षकारो के कथनो पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट पीलीबंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2019 के विरूद्ध भरण–पोषण के अन्तर्गत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से रेस्पोडेन्ट नं0 1 (प्रार्थी किशनाराम) द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत भरण पोषण मुताबिक घरेलू बंटवारा दिनांक 31.08.2016 की मांग करने के साथ प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की डिक्री दिनांक 20.9.2016 निरस्त फरमाकर पुनः राजस्व रिकार्ड स्वयं के नाम दर्ज किये जाने व कब्जा दिलाने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय से मांग के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि राजस्व वाद संख्या 244/2016 अनवान महावीर वगैरा बनाम किशनाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88 आर टी ए में न्यायालय सहायक कलक्टर पीलीबंगा ने अपने निर्णय दिनांक 28.9.2016 से जरिये राजीनामा मुताबिक घरेलू बंटवारा दिनांक 31.08.2016 को डिक्री पारित की है। मुताबिक डिक्री रेस्पो. संख्या 1 किशनाराम ने सहमति से कृषि भूमि अपने पुत्रो अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 ता 5 के नाम की है। ये सही है कि घरेलू समझौता में रेस्पो. संख्या 1 को अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 ता 5 ने प्रत्येक वर्ष 40,000–40,000 रूपयें देना स्वीकार किया है।

विचारणीय बिन्दु है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ है वो धारा 5 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण दिलवाने हेतु पेश हुआ और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भरण–पोषण अधिनियम 2007 की धारा 9 उपधारा 2 की पालना न करते हुए मुताबिक घरेलू बंटवारा दिलवाने हेतु प्रार्थी किशनाराम के पांचो पुत्रो यानि प्रत्येक को

40,000–40,000 रूपये यानि प्रति वर्ष कुल 2,00,000 रूपये भरण–पोषण स्वीकृत किया गया जबकि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 उपधारा 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि अधिकतम भरण–पोषण भत्ता जिसका अभिकरण द्वारा आदेश दिया जावे वो अधिकतम प्रतिमाह 10,000 रूपये से अधिक नही हो सकेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित करते समय घरेलू समझौता का ही ध्यान रखा गया है भरण–पोषण अधिनियम 2007 में प्रदत्त शक्तियों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने भरण पोषण स्वीकृत करते समय कानूनी भूल की है और प्रार्थी किशनाराम को वार्षिक गुजारा भत्ता नियम विरूद्ध स्वीकृत करने से उक्त निर्णय दिनांक 04.9.2019 काबिल खारिज है।

–: आदेश :–

अतः अपील निम्नानुसार संशोधित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.09.2019 को अपास्त किया जाता है तथा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 जो कि इस प्रकार है, ''यदि सन्तान या सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण करने से उपेक्षा करते हैं या इन्कार करते हैं, तो अधिकरण ऐसी उपेक्षा या इन्कारी का समाधान होने से ऐसी सन्तान या सम्बन्धियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भरण–पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जो राज्य सरकार नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें और यह 10, 000 रूपये से अधिक नहीं होगा।'' अपीलाण्ट गोपीराम व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 5 महावीर, भागीरथ, प्रभुराम व देवीलाल पिसरान किशनाराम जाति मेघवाल निवासी भागसर, तहसील पीलीबंगा को आदेश दिये जाते है कि वे रेस्पोडेंट संख्या 1 किशनाराम के खाता संख्या 61042969073 शाखा पुरानी धान मण्डी, पीलीबंगा में प्रत्येक 2000–2000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण गुजारा भत्ता जमा करवायेंगे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा को पालनार्थ वापिस लौटाया जावे। आदेश की प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं भरण–पोषण अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालानार्थ एवं पक्षकारों को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 24.12.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़